

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 जनवरी 2016—माघ 10, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 2048-26-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 37, दिनांक 15 जनवरी 2016 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2016) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द पढ़े जाएं :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं (2)		शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) Government	74 (1)	4	Governor
(2) Officer	74 (1)	19	Office
(3) mopneys	74 (1)	23	moneys
(4) Mahdya	74 (1)	23	Madhya
(5) Persoanl	74 (1)	26	Personal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.